सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 589 / सो.आ.नि.–318 / 14

दिनाँकः 13 फरवरी, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः सोशल आडिट टीम का गठन एवं रिजर्व सूची में नामित किए जाने का मानकीकृत प्रारूप।

महोदय,

कृपया मनरेगा / इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कार्यों का सोशल आडिट किए जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 2465 / 38–7–2013–200नरेगा / 2009, दिनांकः 06 सितम्बर, 2013 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश में प्रत्येक विकास खण्ड में 10 ग्राम पंचायतों पर एक टीम के अनुपात में आवश्यकतानुसार सोशल आडिट टीमों के गठन तथा रिजर्व सूची बनाए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

2– उक्त आदेश के अनुपालन में आपके जनपद में सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु नामित किए जाने की कार्यवाही या तो पूर्ण हो गई होगी या प्रगति पर होगी। चयनोपरान्त ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट किए जाने हेतु सामान्य, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति / जनजाति, महिला एवं श्रमिक– सभी श्रेणी से एक–एक सदस्य सम्मिलित करते हुए टीम की संरचना की जाएगी। आपकी सुविधा हेतु टीम की संरचना करने हेतु टीम के सदस्यों तथा रिजर्व सूची में नामित किए जाने के लिए कार्यालय ज्ञाप सम्बन्धी मानकीकृत प्रारूप का आलेख्य संलग्न कर प्रेषित है।

3– आपसे अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार सोशल आडिट टीम के सदस्यों को नामित करने तथा रिजर्व सूची बनाने विषयक कार्यालय ज्ञाप यथासमय जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

पत्रांकः 589 / सो0आ0नि0–318 / 2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(शंकर सिंह)
निदेशक।

ड्राफ्ट

संख्याः .... दिनांकः.......................

कार्यालय ज्ञाप

सोशल आडिट टीम का गठन

सोशल आडिट किए जाने हेतु शासनादेश संख्या 2465/अड़तीस–7–2013–200नरेगा/2009, दिनांक 06 सितम्बर, 2013 में 5 सदस्यीय सोशल आडिट टीम के गठन का प्राविधान है।

2– तद्नुसार, विकास खण्ड .... की निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा/इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कराए गए कार्यों के सोशल आडिट हेतु निम्नवत सोशल आडिट टीम गठित की जाती हैः–

क्रमांक	नाम व पिता/पति का नाम	स्थाई पता	मोबाइल नं0 यदि हो
1			
2			
3			
4			
5			

3– उक्त सोशल आडिट टीम का कार्यकाल 31 मार्च, 2015 तक होगा तथा तदुपरान्त टीम स्वतः भंग हो जाएगी।

4– टीम के सदस्यों द्वारा जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के निर्देशन में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत का सोशल आडिट समाज सेवा के रूप में किया जाएगा, जिसके लिए सोशल आडिट के वास्तविक रूप से सम्पन्न होने पर टीम के प्रत्येक सदस्य को प्रति आडिट रु0 500/– मानदेय अनुमन्य होगा।

5– सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में प्रदत्त सेवाओं को महत्वपूर्ण समाज सेवा के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। स्पष्टतः सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में योगदान करने के कारण कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में अथवा अन्य किसी चयन में वरीयता पाने का हकदार नहीं होगा।

जिला विकास अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1– ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर, विकास खण्ड .... को इस आशय से प्रेषित कि वे सोशल आडिट टीम में सम्मिलित उक्त व्यक्तियों से सहमति प्राप्त कर अद्योहस्ताक्षरी को सूचना प्रेषित करें।

2– सोशल आडिट टीम के नामित उक्त सदस्यों को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि कृपया वे इस कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित शर्तों के अधीन सेवा प्रदान करने हेतु इस पत्र के प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपनी सहमति अपने विकास खण्ड के ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जिला विकास अधिकारी

<u>रिजर्व सूची हेतु ड्राफ्ट</u>

संख्याः ....   दिनांकः........................

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

सोशल आडिट टीम हेतु रिजर्व सूची

सोशल आडिट किए जाने हेतु शासनादेश संख्या 2465/अड़तीस–7–2013–200नरेगा/ 2009, दिनांक 06 सितम्बर, 2013 में सोशल आडिट टीम तथा रिजर्व सूची के गठन का प्राविधान है।

2– तद्नुसार, विकास खण्ड .... के लिए निम्नवत् सोशल आडिट टीम में यथावश्यक नामित करने हेतु रिजर्व सूची बनाई जाती है :–

क्रमांक	नाम व पिता/पति का नाम	स्थाई पता	मोबाइल नं0 यदि हो
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

3– उक्त रिजर्व सूची 31 मार्च, 2015 तक विधिमान्य होगी तथा तदुपरान्त स्वतः कालातीत हो जाएगी।

4– रिजर्व सूची के सदस्यों को सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में नामित किए जाने पर DSAC/BSAC के निर्देशन में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत का सोशल आडिट समाज सेवा के रूप में किया जाएगा, जिसके लिए सोशल आडिट के वास्तविक रूप से सम्पन्न होने पर टीम के प्रत्येक सदस्य को प्रति आडिट रु0 500/– मानदेय अनुमन्य होगा।

5– सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में प्रदत्त सेवाओं को महत्वपूर्ण समाज सेवा के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। स्पष्टतः सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में योगदान करने के कारण कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में अथवा अन्य किसी चयन में वरीयता पाने का हकदार नहीं होगा।

जिला विकास अधिकारी

<u>प्रतिलिपिः</u>–

1– ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर, विकास खण्ड .... को इस आशय से प्रेषित कि वे रिजर्व सूची में सम्मिलित उक्त व्यक्तियों से सहमति प्राप्त कर अद्योहस्ताक्षरी को सूचना प्रेषित करें।

2– रिजर्व सूची के लिए नामित उक्त सदस्यों को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि कृपया वे इस कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित शर्तों के अधीन आवश्यक होने पर सेवा प्रदान करने हेतु इस पत्र के प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपनी सहमति अपने विकास खण्ड के ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जिला विकास अधिकारी